न्यायालयः—राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 158/2018/223 आरटीए

1. शरीफ मोहम्मद पुत्र स्व. अब्दुलहक जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. रमजान पुत्र स्व. अब्दुलहक जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. नूरहसन पुत्र स्व. अब्दुलहक जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. हुसैन पुत्र स्व. अब्दुलहक जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्टस

**—: बनाम :—**

1. मुसाफिर अली पुत्र ईमामदीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. मोहम्मद मूसा पुत्र ईमामदीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. मोहम्मद ईसा पुत्र ईमामदीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. असगरअली पुत्र अदरीश जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. बरकतअली पुत्र अदरीश जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. सादकअली पुत्र अदरीश जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. नूरहसन पुत्र शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. अलादीन पुत्र मोहम्मद हुसैन नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता जमीलबीबी पत्नि मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/वादीगण

9. ईमामदीन पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. मो0 अदरीश पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

11. मो0 शरीफ पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. मो0 रसीद पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. अरसां बीबी पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. मो0 सलाम पुत्र सरदाराबीबी पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. महिगां खान पुत्र सरदाराबीबी पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. सावन माही पि0 सरदाराबीबी पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. इमाम हुसैन पि. सरदाराबीबी पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. नूर हसन पि. सरदाराबीबी पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. गुलजाराबीबी पुत्री सरदाराबीबी पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. निसाराबीबी पुत्री सरदाराबीबी पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. हनीफा बीबी पुत्री इमामदीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
22. हाजरांबीबी पुत्री इमामदीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. कर्माबीबी पुत्री मो0 अदरीश जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. शर्माबीबी पुत्री मो0 अदरीश जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
25. राणी उर्फ नूरसैन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
26. गुलाम आयशा पुत्री मो0 शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
27. मंजूराबीबी पुत्री मो0 शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28. मुनीराबीबी पुत्री मो0 शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
29. जोहराबीबी पुत्री मो0 शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
30. अतफरा बीबी पुत्री मो0 शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
31. मीराबीबी पुत्री मो0 शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
32. समीरा बीबी पुत्री मो0 शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
33. माफिया पुत्री मो0 शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
34. हुसना बीबी पुत्री मो0 हुसैन ना.ज.कु.बली. पिता मो0 हुसैन पुत्र मो0 शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
35. मोहम्मद हुसैन पुत्र मो0 शरीफ जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
36. सफी मोहम्मद पुत्र हाजी जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
37. अजायबसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
38. तरसेमसिंह पुत्र गुरमेलसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
39. लखविन्द्र सिंह पुत्र पालसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
40. पालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
41. गुरमेलसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
42. मूर्ति पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
43. छोटो पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
44. नक्षत्र सिंह सजनसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

45. कलवंतसिंह पुत्र सजनसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
46. सजनसिंह पुत्र हरनामसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
47. सावरअली पुत्र उस्मान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
48. अल्लादिता पुत्र उस्मान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
49. अल्लाबक्श पुत्र उस्मान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
50. मोहम्मद रजाक पुत्र शाहमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
51. मोहम्मददीन पुत्र कासम खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
52. यासीन पुत्र कासम खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
53. अहमददीन पुत्र कासम खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
54. शाहिद खां पुत्र कासम खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
55. रामकिशन पुत्र जयमलसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
56. वीरसिंह पुत्र जयमलसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
57. सुहारा पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
58. भूरान पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
59. सुल्तान पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
60. फतेहमोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
61. खान मोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

62. अलीमोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
63. मो0 सलाम पुत्र शाह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
64. अकबलअली पुत्र नूरमजीद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
65. सुभान पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
66. नुर मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
67. वली मो0 पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
68. अमीरदीन पुत्र ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
69. इन्द्रसिंह पुत्र भादरसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
70. सरजीतसिंह पुत्र भादरसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
71. स्वरूप सिंह पुत्र भादरसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
72. बलदेवसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
73. भादरसिंह पुत्र उतमसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
74. खुदाबक्श पुत्र हाजी जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
75. नूरहसन पुत्र अब्दुलहक जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
76. नूरमोहम्मद पुत्र मोहम्मदखां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
77. मंजूर पि0 मोहम्मदखां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
78. बशीर अहमद पुत्र मोहम्मदखां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

79. सुलेम खातून पुत्र मोहम्मदखां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
80. मंजूरबीबी पि0. मोहम्मदखां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
81. मलकीतसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
82. जसवीरसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
83. जसपालसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
84. रघुवीरसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
85. महेन्द्रकौर पत्नि मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
86. यासीन पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
87. अमीन पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
88. मंजूर पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
89. नूरअहमद पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
90. रफीकां पुत्री अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
91. ईस्माईल पुत्र बसीर खां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
92. बागअली पुत्र बसीरखां जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
93. फातमा पत्नि इब्राहिम जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
94. जैना पत्नि बसीर जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
95. अस्माल खां पुत्र बसीर जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

96. सरदार अली पुत्र बसीर जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
97. नमीरां पि. बसीर जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
98. गुरजारां पि. बसीर जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
99. माफिया पि. बसीर जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
100. मो0 रमजान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
101. हुसैन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
102. मो. तुफैल पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
103. फलकेश पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
104. बली मोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
105. खालक पुत्र अलीयास जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
106. मोहम्मद सलाम पुत्र अलीयास जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
107. सुभान पुत्र अलीयास जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
108. सुलेमान पुत्र अलीयास जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
109. खुशी मोहम्मद पुत्र अलीयास जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
110. गुलाम रसूल पुत्र सरवरदिता जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
111. कुरेशां पत्नि यासीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
112. राझाखां पुत्र मो0 रमजान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

113.बरकतअली पुत्र मो0 रमजान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
114.लेखूमल पुत्र हरामल जाति सिन्धी निवासी सामरझील।
115.सुलेमान पुत्र कादरबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
116.जैनाबीबी पुत्र कादरबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
117.चिरागअली पुत्र कादरबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
118.सराजअली पुत्र कादरबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
119.सादकअली पुत्र कादरबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
120.कासमअली पुत्र कादरबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
121.अरसां बीबी पुत्री कादरबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
122.मंजूराबीबी पुत्री कादरबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
123.अलाजवाई पत्नि रमजान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
124.नूरनबी पि0 सरदारअली जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
125.मो0 रमजान पि. सरदारअली जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
126.यासीन मो0 पि. सरदारअली जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
127.ळुसेन पुत्र सरदारअली जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
128.नूरहसर पुत्र सरदारअली जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
129.नूरअहमद पुत्र सरदारअली जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
130.सरदारअली पुत्र उस्मान पुत्र भादर जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

131.मुरादअली पुत्र उस्मान पुत्र भादर जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

132.नुरबीबी पुत्री उस्मान उर्फ भादर जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

133.राज पुत्री उस्मान उर्फ भादर जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

134.तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

135.तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेन्टस / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.06.2017 व अन्तिम डिक्री दिनांक 29.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्र0सं0 94 / 15 अनवानी मुसाफिरअली बनाम ईमामदीन

उपस्थित :—

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री विनोद पारीक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक —09.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 7 ने तरतीबी रेस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश किया। इस वादपत्र मे रेस्पो0 सं. 1 ता 7 ने अपनी भूमि से संबंधित चक 1 केकेडब्ल्यू, चक 7 एमएमके, चक 8एमएमके व चक 9एमएमके को शामिल किया। उक्त वादपत्र मे अपीलांट की भूमि चक 8 एमएमके के खाता सं. 28 / 28 तादादी 22.521 है0 भूमि शामिल नही थी तथा ना ही अपीलांट को वादपत्र मे पक्षकार बनाया गया। वादपत्र मे प्रतिवादीगण सं. 56 व 57 ने कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसील से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव आने के बाद अधीनस्थ न्यायाल ने दिनांक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र अन्तिम डिक्री किया गया। इस अन्तिम डिक्री मे अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र मे उल्लेखित खातो से भिन्न अपीलांट के संयुक्त खाता चक 8 एमएमके के खाता सं. 28 / 28

तादादी 22.521 है0 मे अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि प.न. 134/195 मु.न. 8 कि.न. 16 व 25 मे 2–2 बिस्वा रास्ता भी स्वीकृत करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट अपनी भूमि मे स्वीकृत किये गये रास्ता की हद तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पीड़ित हुये है तथा बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत कर रहे है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वादपत्र मे वर्णित खातो से भिन्न अपीलांट की संयुक्त खाता चक 8 एमएमके के खाता सं. 28/28 के प.न. 134/195 मु.न. 8 के कि.न. 16 व 25 मे स्वीकृत किये गये रास्ता की सीमा तक कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से एकपक्षीय रूप से पारित की गई जो अपास्त योग्य है। खाता विभाजन के वादपत्र मे अधीनस्थ न्यायालय को केवल संबंधित खातो मे ही सहखातेदारो को रास्ता की सुविधा प्रदत किये जाने का अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय को वादपत्र मे वर्णित खातो से संबंधित सहखातेदारो को वादपत्र से भिन्न अन्य व्यक्तियों के खातो मे से रास्ता की सुविधा प्रदत किये जाने का अधिकार नही था तथा वादपत्र से भिन्न अन्य व्यक्तियों के खातो मे से रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अन्य उपचार उपलब्ध थे। अधीनस्थ न्यायालय को खाता विभाजन के वाद मे वाद की विषयवस्तु से संबंधित खातो मे ही एक दूसरे सहखातेदार को रास्ता की सुविधा प्रदत करने का अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील से आये विभाजन प्रस्ताव मे अपीलांट की भूमि मे से रास्ता प्रस्तावित करने का कतई गलत व विधि विरूद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधि विरूद्ध प्रस्ताव को अनदेखा कर अन्तिम विभाजन की डिक्री पारित करने मे कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संबंधित संयुक्त खाता चक 8 एमएमके के खाता सं. 28 / 28 मे से प.न. 134 / 195 मु. न. 8 कि.न. 16 व 25 मे रास्ता मंजूर करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नही दिये गये व ना ही रेस्पो0 सं. 1 ता 7 ने अपीलांट को पक्षकार बनाया। अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एवं उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना वादपत्र मे वर्णित खातो से भिन्न अपीलांट कीभूमि के खाता मे से रास्ता स्वीकृत किये जाने का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न केवल एक पक्षीय है अपितु प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से हस्तक्षेप योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि रेस्पो. ने अपीलाधीन डिक्री के आधार पर चक 8 एमएमके के अपने खातो मे खाता विभाजन की डिक्री के अनुसरण मे इंतकाल संख्या 429 दिनांक 29.12.17 को दर्ज व तस्दीक करवाया है। इस इंतकाल मे खाता सं. 28 / 28 की उक्त वर्णित प.न. 134 / 195 मु.न. 8 कि.न. 16 व 25 मे भी 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत होने के इन्द्राज करवाये तथा जमाबंदी मे अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि मे 2–2 बिस्वा रास्ता की प्रविष्टि करवा ली व अब अपीलांट की फसल रबी कटने के बाद अर्सा 1 सप्ताह पूर्व रेस्पो0 ने अपीलांट के कब्जा काश्त प.न. 134 / 195 मु.न. 8 कि.न. 16 व 25 मे अनुचित हस्तक्षेप करने की धमकी दी व सर्वप्रथम यह प्रकट किया कि इन दोनो किलो मे रास्ता स्वीकृत हो चुका है तब अपीलांट ने दिनांक 23.05.2018 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पड़ताल कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री लेने से जानकारी हुई। अपीलांट इस निर्णय व डिक्री से प्रत्यक्षतः व सारवान रूप से प्रभावित है तथा तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करने अनुमति अधीन यह अपील ज्ञान के दिवस से प्रस्तुत कर रहे है। इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई को कन्डोन कर अपील ज्ञान से अन्दर मानी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.17 व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्तिम डिक्री दिनांक 29.06.2017 को चक 8 एमएमके खाता सं. 28/28 के प.न. 134/195 मु.न. 8 के कि.न. 16 व 25 मे प्रत्येक किला मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने की सीमा तक अपास्त किया जावे व चक 8 एमएमके खाता सं. 28/28 प. न. 134/195 मु.न. 8 कि.न. 16 व 25 की रिकार्ड की पूर्वस्थिति बहाल करने के आदेश पारित किये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2017 व अन्तिम विभाजन डिक्री दिनांक 29.06.17 मे वादपत्र से भिन्न खाता चक 8 एमएमके के खाता सं. 28/28 के प.न. 134/195 मु.न. 8 कि.न. 16 व 25 मे रास्ता स्वीकृत किये जाने से व्यथित होकर यह अपील तृतीय पक्षकार के रूप कतई मिथ्या एवं मिथ्या आधारो पर पेश की है। अपीलांट द्वारा उक्त डिक्री मे केवल मात्र रास्ता को निरस्त करवाने के उदेश्य से यह अपील प्रस्तुत की है जबकि उक्त रास्ता रेस्पो. की भूमि मे आवागमन हेतु गत 50–60 वर्षो से लगतार व बिना किसी रूकावट के चला आ रहा था लेकिन राजस्व अभिलेख मे उक्त रास्ता का अमल दरामद नही होने के कारण अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 8 के मध्य पूर्व मे मधुर संबंध होने के कारण उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु मौन स्वीकृति भी अपीलांट द्वारा दी गई थी। अपीलांट सं. 1 ता 4 कि जो सगे भाई है व साथ ही निवास करते है। उनको उक्त वादपत्र का पूर्ण रूप से इल्म था। अपीलांट सं. 3 नूरहसन जो कि वादपत्र मे पक्षकार भी था बावजूद तामिल के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर नही आया क्योंकि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 8 के मध्य मित्रवत व मधुर व्यवहार होने के कारण अपीलांट द्वारा भी कभी रेस्पो0 को उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग करने हेतु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कभी इन्कार नही किया गया व रास्ता स्वीकृत करवाने मे मौन स्वीकृति अपीलांट द्वारा दी गई थी लेकिन 15–20 दिवस पूर्व अपीलांट व रेस्पो0 सं. 8 के मध्य झगड़ा हो जाने तथा अपीलांट के विरूद्ध गम्भीर फौजदारी मुकदमा दर्ज हो जाने के कारण राजीनामा का दबाव डालने के उदेश्य से उक्त अपील गलत आधारो पर प्रस्तुत की है। अपीलांट अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का शुरू से ही ज्ञान रहा है लेकिन अपीलांट द्वारा इसका कभी भी विरोध नही किया गया। बाद डिक्री अमल दरामद के अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य झगड़ा हो जाने के कारण रेस्पो0 सं. 8 के पिता मोहम्मद हुसैन के अत्यधिक गम्भीर चोटे मारी, जिससे मोहम्मद हुसैन द्वारा अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा भी दर्ज करवाया गया उक्त मुकदमा मे राजीनामा करने के दबाव के उदेश्य से उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसका ईल्म अपीलांट को पूर्व मे ही था। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मे वर्णित तथ्य कतई आधारहीन है इसलिये अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्टस द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्टस पक्षकार नही थे इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद

शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 7 ने तरतीबी रेस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश किया। इस वादपत्र मे रेस्पो0 सं. 1 ता 7 ने अपनी भूमि से संबंधित चक 1 केकेडब्ल्यू, चक 7 एमएमके, चक 8एमएमके व चक 9एमएमके को शामिल किया। उक्त वादपत्र मे अपीलांट की भूमि चक 8 एमएमके के खाता सं. 28/28 तादादी 22.521 है0 भूमि शामिल नही थी तथा ना ही अपीलांट को वादपत्र मे पक्षकार बनाया गया। वादपत्र मे प्रतिवादीगण सं. 56 व 57 ने कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसील से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव आने के बाद अधीनस्थ न्यायाल ने दिनांक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र अन्तिम डिक्री किया गया। इस अन्तिम डिक्री मे अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र मे उल्लेखित खातो से भिन्न अपीलांट के संयुक्त खाता चक 8 एमएमके के खाता सं. 28/28 तादादी 22.521 है0 मे अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि प.न. 134/195 मु.न. 8 कि.न. 16 व 25 मे 2–2 बिस्वा रास्ता भी स्वीकृत करने के आदेश पारित किये गये है। जबकि अपीलांट के संयुक्त खाता चक 8 एमएमके खाता सं. 28/28 की 22.421 है0 भूमि ना तो विभाजन के वाद मे शामिल की गई और ना ही उक्त खाता सं. 28/28 की 22.421 है0 प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम मे शामिल की गई है तथा ना ही रेस्पो0/वादीगण अपीलांटस के सहखातेदार है। अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये तथा बिना विभाजन के वाद मे अपीलांट की भूमि शामिल किये विभाजन के वाद मे अपीलांट की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये है जबकि खाता विभाजन के वाद मे रास्ता व खाला की सुविधा उन्ही सहखातेरान की संयुक्त खाता की भूमि मे से दी जानी चाहिए थी। अपीलांटस रेस्पो./वादीगण के संयुक्त खाता की भूमि के सहखातेदार नही है।

6. रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए के तहत ही प्रस्तुत किया गया था जिसमे साझां की भूमि के सहखातेदारान के मध्य विभाजन का अनुतोष चाहते हुए अन्य भिन्न खातेदारान के भूमि मे से बिना खातेदारान को पक्षकार बनाये रास्ता का अनुतोष चाहते हुए विभाजन करवाने के साथ साथ रास्ता

भी स्वीकृत करवाया गया है तथा अपीलांट द्वारा मात्र रास्ता स्वीकृति की हद तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री ही विरोध किया गया। विभाजन के संबंध मे पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटस को कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.17 व अन्तिम विभाजन डिक्री दिनांक 29.06.17 को चक 8 एमएमके के खाता सं. 28/28 के प.न. 134/195 मु.न. 8 कि.न. 16 व 25 मे प्रत्येक किला मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने की सीमा तक अपास्त किया जाकर चक 8 एमएमके के खाता सं. 28/28 के प.न. 134/195 मु.न. 8 कि.न. 16 व 25 की रिकार्ड की पूर्वस्थिति बहाल की जानी उचित प्रतीत होती है तथा जहां तक रेस्पो0 के रास्ता का प्रश्न है तो रेस्पो0 रास्ता हेतु अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए अथवा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 8(2) के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगे।

7. उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.17 व अन्तिम डिक्री दिनांक 29.06.2017 को चक 8 एमएमके खाता सं. 28/28 के प.न. 134/195 मु.न. 8 के कि.न. 16 व 25 मे प्रत्येक किला मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने की सीमा तक अपास्त किया जाता है व चक 8 एमएमके खाता सं. 28/28 प.न. 134/195 मु.न. 8 कि.न. 16 व 25 की रिकार्ड की पूर्वस्थिति बहाल करने के आदेश दिये जाते है। शेष विभाजन की हद तक अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.17 व अन्तिम डिक्री दिनांक 29.06.2017 यथावत रहेगा। रेस्पो0 रास्ता हेतु अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए अथवा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 8(2) के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.<br>
राजस्व अपील अधिकारी<br>
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official